मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ–9–5/2017/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :– मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

***

वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ–9–6/2017/नियम/चार दिनांक 04 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2017 से छटवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 139 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत की दरों में कमशः 01 जनवरी, 2018 एवं 01 जुलाई 2018 से निम्नानुसार वृद्धि करने पर राज्य शासन द्वारा सहर्ष स्वीकृति दी गई है :–

सरल कमांक	अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर (प्रतिशत में)		वृद्धि के परिणामस्वरूप मंहगाई राहत की दर (प्रतिशत में)	
		छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान*
1.	दिनांक 01 जनवरी 2018 से (माह जनवरी, 2018 की पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी 2018 में देय होगी)	3	2	142	7
2.	दिनांक 01 जुलाई 2018 से (माह जुलाई, 2018 की पेंशन/ परिवार पेंशन जो अगस्त, 2018 में देय होगी)	6	2	148	9

* राज्य शासन के आदेश अंतर्गत पेंशनर्स का सातवें वेतनमान में पेंशन पुनरीक्षण दिनांक 01 अप्रैल 2018 से प्रभावशील है। अतः 01 जनवरी 2018 से मार्च 2018 की अवधि के लिये छटवें वेतनमान एवं अप्रैल 2018 से सातवें वेतनमान अनुसार निर्धारित दर से मंहगाई राहत देय होगी।

Rule-358

लेखा अधिकारी
कार्यालय महालेखाकार (लेखा/हक)
म०प्र० ग्वालियर

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत, अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवा निवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid), तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरो को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ.बी.6/43/76 /नियम–2 दिनांक 5–10–76 के प्रतिबंधो के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्नि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होगे, जिन्होने उपकमों /स्वशासी संस्थाओं/मण्डलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5–1–2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये है।

6/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

7/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क.ई–4/1–83/नि–5/चार, दिनांक 29 जनवरी,1983 तथा मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग–1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत राहत का शीघ्र भुगतान करे । संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करे तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करे।

8/ भारत निर्वाचन आयोग के पत्र कमांक 437/6/म.प्र/लो.स./2019/एम.सी.सी.संदर्भ दिनांक 10 अप्रैल 2019 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन वित्त विभाग

Rule-359

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-6/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 04/06/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जुलाई 2017 से पेंशन पर देय महँगाई राहत की स्वीकृति ।

***

राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2017 से मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर निम्नांकित दर से मंहगाई राहत दी जा रही है:-

(i) छटवें वेतनमान 136 प्रतिशत
(ii) सातवें वेतनमान 04 प्रतिशत

2/ राज्य शासन द्वारा पेंशनर/परिवार पेंशनरों को उपर्युक्त देय मंहगाई राहत में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार दर से दिए जाने का निर्णय लिया है :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
छटवें वेतनमान में दिनांक 01-07-2017 से (माह जुलाई, 2017 की पेंशन/परिवार पेंशन जो अगस्त, 2017 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 139% (वृद्धि 3%)
सातवें वेतनमान में दिनांक 01-07-2017 से (माह जुलाई, 2017 की पेंशन/परिवार पेंशन जो अगस्त, 2017 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 5% (वृद्धि 1%)

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी

3/ उपरोक्त महँगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महँगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन

लेखा अधिकारी
कार्यालय महालेखाकार (लेखा/हक)
म०प्र० ग्वालियर

2/6/18

प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महँगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त / पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति / पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/ नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रं. एफ 12-5/2007/नियम/चार दिनांक 19 अप्रैल, 2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महँगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होगें, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं ।

6/ महँगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

7/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों /उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्रं. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2/6/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

(1)

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 9-13/17/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 26/10/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय :- दिनांक 01-01-2016 को अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/ दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

***

राज्य शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1/2016/ नियम/चार दिनांक 22 जुलाई 2017 द्वारा शासकीय सेवकों के वेतन का पुनरीक्षण दिनांक 01-01-2016 से किया गया है।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01-01-2016 को अथवा पश्चात सेवा निवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों की पेंशन/ परिवार पेंशन हितलाभों का निम्नानुसार पुनरीक्षण किया जाए :-

क. पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन सांराशिकरण, अवकाश नगदीकरण का निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में [पूर्व में भुगतान राशि समायोजित करते हुए] किया जाए।

ख. मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख की जाती है।

ग. पेंशन एवं परिवार पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि रूपये 7750/- (वृद्धों को प्राप्त अतिरिक्त पेंशन को छोडकर) की जाती है। पेंशन/ परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को पुनरीक्षित वेतनमान मे प्राप्त अधिकतम वेतन का क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत किया जाता है।

3. दिनांक 01-01-2016 से 31-08-2017 तक की अवधि के लिये पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की बढी हुई राशि का भुगतान पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान को समायोजित करते हुए किया जाएगा ।

Rule-180

लेखा अधिकारी
कार्यालय महालेखाकार (लेखा/हक)
म०प्र० ग्वालियर

4. पेंशन/परिवार पेंशन देय राशि की गणना में मंहगाई राहत की गणना निम्नानुसार होगी :-

दिनांक	मंहगाई राहत
01-01-2016 से	शून्य प्रतिशत
01-07-2016 से	2 प्रतिशत
01-01-2017 से	4 प्रतिशत

5. उपर्युक्त पैरा 2 (ख) एवं (ग) के लिये सुसंगत नियमों में संशोधन पृथक से किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुखवीर सिंह)
सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.कमांक एफ 9-13/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26/10/2017

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र.राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/ऑडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये